बिहार सरकार

समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला पंचायत शाखा)

फोन नं0-06114-226699
फैक्स नं0-06114.226699
ई0मेल- dpro-je-bih@nic.in

आदेश

सरकार के प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या 4046/पं0रा0 दिनांक 25.7.2018 से प्राप्त निदेश के आलोक में जिला स्तर पर दिनांक 15.09.2020 को आहूत चयन समिति की बैठक में लिये निर्णय के आलोक में जहानाबाद जिलान्तर्गत तकनीकी सहायक के आरक्षण कोटिवार रिक्त कुल 09 (नौ) पदों के विरूद्व निम्न, 05 (पाँच) अभ्यर्थियों को तकनीकी सहायक के पर पर निर्धारित मानदेय राशि 27000/सताइस हजार रूपयें मात्र प्रतिमाह की दर से संविदा के आधार पर नियोजन के शर्तो एवं कर्तव्यों के अधीन नियोजित किया जाता है, जो निम्न है।

क्र0	वरीयता क्रमांक	आवेदन संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	जन्म तिथि	अभ्यर्थी कोटि	नियोजन का आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	TAT/0008268	अभिषेक कुमार	सत्येन्द्र नारायण शर्मा	ग्राम+पो0– सेरथुआ थाना–मखदुमपुर, जिला– जहानाबाद।	09.05.1987	GEN	अनारक्षित पुरूष
2	8	TAT/0010761	रंजीत कुमार	सरयु मिस्त्री	ग्राम लरसा पो0 बभना थाना परसविगहा, जिला जहानाबाद	21.01.1989	EBC	अनारक्षित पुरूष
3	18	TAT/0013152	नूर आलम	मो0 शोऐब रजा	ग्राम+पो0 फौलादपुर, थाना शकुराबाद, प्रखंड रतनी फरीदपुर, जिला जहानाबाद।	03.02.1995	EBC	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
4	16	TAT/0051148	यासिन जमाल	मो0 जमाल अख्तर	ग्राम मिलटेन, पो0+थाना+जिला– जहानाबाद।	27.09.1997	BC	पिछड़ा वर्ग
5	116	TAT/0047793	अंजना कुमारी	श्री अरविन्द कुमार राकेश	ग्राम मौर्य नगर जहानाबाद, पो+थाना+जिला– जहानाबाद	02.11.1995	BC	पिछड़ो वर्गो की महिला

<u>तकनीकी सहायक का निम्नवत् दायित्व होगा :–</u>

1. ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का तकनीकी प्रबंधन सुनिश्चित करना।
2. मुख्सयमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा क्रियान्वित होनेवाली योजनाओं का प्राक्कलन बनाना।
3. तकनीकी अनुश्रवण, मापी–पुस्तिका संधारण, कार्यो का निरीक्षण, ऑनलाईन रिपोटिंग ,गुणवता जाँच सुनिश्चित करना।
4. जिला पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर आवंटित कार्य।

<u>नियोजन की शर्त</u>

1. संविदा शर्तो के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
2. प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर चयनित कर्मी को हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद को होगा। वे किसी कर्मी को हटाने से पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त का पालन करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करेगें।
3. जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के स्तर पर अपील की जा सकेगी।
4. नियोजित कर्मी को योगदान के समय अपना शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति/मूल प्रति/दो फोटो समर्पित करना होगा।
5. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समपिर्त करना अनिवार्य होगा।
6. उपरोक्त अभ्यर्थी को योगदान के समय शपथ पत्र देना होगा, जिसमें उनके विरूद्ध अपराधिक मामला दर्ज नही होने एवं दहेज नही लेन–देन संबंधी का उल्लेख हो। साथ ही यह भी शपथ पत्र में उल्लेख होना चाहिए कि अभ्यर्थी के किसी भी प्रमाण पत्र एवं संस्थान/कॉलेज फर्जी पाये जाने पर वेतन की वसूली के साथ अपराधिक मुकदमा किया जा सकेगा।
7. नियोजित तकनीकी सहायक द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य अंसतोषप्रद पाये जाने पर इन्हे विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।
8. नियोजित तकनीकी सहायक द्वारा आवेदन में दिये गयें तथ्य में सूचना गलत पाये जाने पर नियोजन रद् कर दिया जायेगा।
9. नियोजित कर्मी को पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय प्रतिमाह 27000/–(सताईस हजार रूपया) अनूमान्य होगा।
10. इन कर्मियों को वर्ष में 16 दिनों की आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगी।
11. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी सरकारी सेवक नही माने जायेगें और अनुमान्य किसी भी सरकारी सेवा के हकदार नही होगें। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का उनका कोई भी दावा अनुमान्य नही होगा।
12. नियोजित तकनीकी सहायक को विहित प्रपत्र में 100/–रू0 का नन–जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना होगा।

13. चयनित अभ्यर्थियों का निदेश दिया जाता है कि दिनांक 27.09.2020 तक जिला पंचायत राज पदाधिकारी जहानाबाद के समक्ष योगदान देना सुनिश्चित करेगें।

14. इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या 21651/2018 में यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित होतो है तो इससे आपका नियोजन प्रभावित होगा।

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

ज्ञापांक— 1220 जहानाबाद दिनांक— 23/9/2020

प्रतिलिपि :— सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव, जहानाबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी ग्राम पंचायत के मुखिया/सभी ग्राम पंचायत सचिव, जहानाबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं उक्त सूची को जहानाबाद जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतुं प्रेषित। निदेश है कि सभी अभ्यर्थियों को SMS एवं E-mail के माध्यम से सूचित करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि :— चयन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— उप विकास आयुक्त, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अपर समाहर्त्ता जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।